उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 8699/16 दिनांक 16.9.16

सेवा में,

प्रबन्धक,
स्कूल ऑफ पैरामेडिकल,
वैकटेश्वरा नगर, एन0एच0 24,
रजबपुर, गजरौला, अमरोहा

विषय–श्री बांके बिहारी एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर द्वारा प्रस्तावित स्कूल ऑफ पैरामेडिकल, वैकटेश्वरा नगर, एन0एच0 24, रजबपुर, गजरौला, अमरोहा में डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की गवर्निंग बाडी के निर्णय एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–3480/71–2–16–एन–8/2016 दिनॉक 16.09.2016 के क्रम में आपके प्रशिक्षण केन्द्र में **डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन** प्रशिक्षण में **30 छात्र** (प्रति प्रशिक्षण) प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु अनुमति/अनापत्ति अस्थायी रूप से प्रदान की गई है।

<u>प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें:–</u>

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से अधिकतम रूपया 54,000/–(रूपया चौवन हजार) प्रतिवर्ष (रूपया 4,500/–प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क लिया जा सकता है।
4. समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
5. प्रवेश सत्र प्रतिवर्ष अक्टूबर/नवम्बर से प्रारम्भ किया जायेगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

.......2

6. **डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन** प्रशिक्षण में भर्ती हेतु चयन सूची प्रकाशित करने से पूर्व चयनित अभ्यार्थियों के शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की प्रतियों सहित चयन सूची का अनुमोदन फैकल्टी से प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रशिक्षण में प्रवेश लिया जायेगा। चयन सूची में अभ्यार्थियों का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

7. प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत अध्यापकों के नाम की सूची, शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक अध्यापक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित समस्त विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भरकर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

8. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश न किया जाये।

9. सम्बद्धता शुल्क रूपया 15,000/– प्रतिवर्ष इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

10. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराया जायेगा, निर्धारित मानक पूरे होने के पश्चात् ही मान्यता/सम्बद्धता आगे बढ़ायी जायेगी।

11. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेगें, यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा दी गई मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

12. प्रत्येक वर्ष में प्रवेशित छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर 30 नवम्बर–2016 तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।

13. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2016

विषयः–श्री बांके बिहारी एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर द्वारा प्रस्तावित स्कूल ऑफ पैरामेडिकल, वैकटेश्वरा नगर, एन0एच0 24, रजबपुर, गजरौला, अमरोहा को पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यकम प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति/अनुमति दिये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7524/2016 एवं संख्या–7517/2016 दिनांक 08.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री बांके बिहारी एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर द्वारा प्रस्तावित स्कूल ऑफ पैरामेडिकल, वैकटेश्वरा नगर, एन0एच0 24, रजबपुर, गजरौला, अमरोहा में डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन एवं ओ0टी0 टेक्नीशियन प्रशिक्षण में 30 छात्र (प्रत्येक पाठ्यकम) प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था द्वारा डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन एवं ओ0टी0 टेक्नीशियन प्रशिक्षण में 30–30 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता रखी जाय तथा किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थियों का चयन न किया जाय।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रशिक्षण/प्रवेश/शुल्क के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं चयन प्रकिया का पालन करना अनिवार्य है।
3. संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/राज्य सरकार के किसी भी दिशा–निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्थान की अनुमति/मान्यता समाप्त करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. छात्रों की परीक्षाएं उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निर्धारित पाठ्यकम के अनुसार कराई जायेगी तथा परीक्षा में सफल छात्रों को फैकल्टी द्वारा नियमानुसार डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– (1)/71–2–16–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्धक, श्री बांके बिहारी एजुकेशनल एण्ड वैलफेयर द्वारा प्रस्तावित स्कूल ऑफ पैरामेडिकल, वैकटेश्वरा नगर, एन0एच0 24, रजबपुर, गजरौला, अमरोहा।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

स्टे0 मेडि0 फै0 एवं कौं0
डाक ... 206/16
दि0 ...
... 16/9

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।